JUST DETENTION INTERNATIONAL

RAPE IS NOT PART OF THE PENALTY

अंतरराष्ट्रीय संक्षेप

कारागार में यौन उत्पीड़न: एक वैश्विक मानवाधिकार संकट

कारागार में यौन उत्पीड़न1 एक वैश्विक मानवाधिकार संकट है। अनेक मामलों में, कर्ता-धरता कारागार के कर्मी होते हैं जिनपर कैदियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है। चाहे कारागार कर्मियों ने इसे अंजाम दिया हो या कैदियों ने, कारागार में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अन्य रूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यातना के रूपों में स्वीकार किए जाते हैं। कैदियों को सुरक्षित रखना सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। चाहू कसूरवार कोई हो, कारागार में यौन उत्पीड़न अपनी जिम्मेदारी निभाने में सरकार की नाकामी का द्योतक है।

ज़्यादातर देशों में, कारागारों में यौन उत्पीड़न की व्यापकता का कोई आधिकारिक अध्ययन नहीं है, और बहुत कम कैदी रिपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं कि उनको उत्पीड़ित किया गया है। बहरहाल, कारागार के ज़्यादातर पर्यवेक्षक सहमत हैं कि कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं होने का यह मतलब नहीं है कि कारागार सुरक्षित हैं। इसके विपरीत, दुनिया भर में पूर्व बंदी, कारागार स्टाफ और मानवाधिकार कर्मी सहमत हैं कि कारागार में यौन उत्पीड़न के शिकार अब भी अपने अनुभव बताने से परहेज करते हैं - कई बार शर्म के चलते, कई बार बदले के डर से और कई बार बस इस सोच के चलते कि उन्हें कोई मदद उपलब्ध नहीं है।

कारागार में यौन उत्पीड़न की प्रकृति

कारागार में यौन उत्पीड़न कई रूपों में हो सकता है और कानूनी शब्दावलियां एवं परिभाषाएं एक देश से दूसरे देश में बदलती हैं, और कई देशों के अंदर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती हैं। जस्टिस डिटेंशन इंटरनेशनल (JDI) कारागार में यौन उत्पीड़न को किसी अन्यान कैदी की ओर से कोई अवांछित यौन संपर्क या धमकी और किसी स्टाफ सदस्यर की ओर से बिना प्रवेश के साथ या उसके बगैर किया गया कोई यौन संपर्क के रूप में परिभाषित करता है जिसमें यह मायने नहीं रखता कि उत्पीड़नकर्ता या पीड़ित किस लिंग के हैं। यौन उत्पीड़न महिलाओं और पुरूषों दोनों के कारागारों में होता है और उत्पीड़नकर्ता उत्पीड़ित के समान या विपरीत लिंग के हो सकते हैं।

दुनिया भर में कारागारों में हिंसा और बलात्कानर होते हैं। जिंदा रहने के लिए, कुछ कैदियों को ज़्यादा ताकतवर कैदियों के साथ रिश्तेक बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें सुरक्षा के एवज में उन्हेंद सेक्सो उपलब्धे कराना होता है। कई जगहों पर कारागार में बलात्कामर संगठित कारागार गिरोहों से जुड़ा होता है: उत्पीड़ित को इन गिरोहों के बीच अकसर ''बेच'' दिया जाता है या वेश्याहवृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। ज़्यादातर उत्पीबड़ितों का कई बार बलात्कागर किया जाता है। कारागारों के अंदर खबर तेजी से फैलती है और एक बार बलात्कार का निशाना बनने पर अन्य। कैदी और कारागार स्टोफ अकसर उसे शिकार के रूप में चिह्नित करते हैं।

अकसर, कैदियों के बजाय यह कारागार स्टातफ है जो बलात्का र करते हैं। कुछ मामलों में, कारागार स्टा।फ कैदियों का बलात्का र कैदियों से करवाते हैं। अन्ये मामलों में, वे भोजन, नशा या कृपादृष्टि के वादे के बदले में सेक्स् की मांग करते हैं। कुछ कारागार स्टा फ कैदियों के साथ ऐसे यौन संबंध में जाते हैं जो जाहिरा तौर पर परस्प र इच्छा पर आधारित प्रतीत होते हैं। अगर यौन गतिविधियां जबरिया नहीं भी की जा रही हो तो कारागार सटाफ के लिए कैदियों के साथ सेक्सत करना कभी उचित नहीं है। कैदियों पर कारागार स्टाटफ का पूरा नियंत्रण होता है और वे उनकी स्वतंत्रता को

और भी बाधित कर सकते हैं या उनके जीवन को और भी कठिन बना सकते हैं। इन हालात में, कैदियों के लिए कारागार स्टाफ को मना करना अकसर नामुमकिन होता है जो उनके साथ सेक्स करना चाहते हैं।

कारागार में यौन उत्पीड़न राजनीतिक दम का एक हथियार भी हो सकता है। इन मामलों में, सरकार, कोई कारागार प्रशासक, या कारागार स्टाएफ सदस्यो सजा देने या डराने के एक रूप के तौर पर उन कैदियों के बलात्कार के लिए आदेश देता है या मौन मंजूरी देता है जिन्हें राजनीतिक विरोधी माना जाता है।

जहां कारागार में हर किसी का बलात्कार किया जा सकता है, कमजोर माने जाने वाले को खास तौर पर ज़्यादा खतरा होता है। इनमें शामिल हैं: समलैंगिक और ट्रांसजेंडर कैदी; युवक या कमजोर कद-काठी के लोग; पहली बार जेल गए लोग; और अहिंसक कैदी । पुरूषों के कारागार में, अति-पौरूषत्ववादी, नारी-द्वेषी रुझान व्यापक होते हैं। इसका मतलब है कि यौन उत्पीड़न करने वाले को अकसर मजबूत - या मरदाना - माना जाता है और उत्पीड़न के शिकार को अकसर कमजोर - या जनाना- माना जाता है। ये रुझान बलात्कार उत्पीड़ित के लिए बलात्कारी की रिपोर्ट करना और वांछित मदद मांगना अत्यंत खतरनाक बना देते हैं। यहां तक कि यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं हुए कैदी भी ऐसे माहौल को अपनाने के लिए मजबूर हैं जहां प्रबल नहीं समझे जाने वालों के लिए बलात्कादर को जोखिम होता है।

चाहे जिस रूप में भी यह अंजाम पाए, बलात्का र हिंसा का एक कृत्यक है जिसे प्रभुत्वं, शक्ति और नियंत्रण के प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है। बलात्कारर कभी उत्पीड़ित की गलती नहीं होती है।

उत्पीड़ित पर प्रभाव

चाहे घर में किया जाए, समुदाय में या कारागार में, बलात्कौर और यौन उत्पीड़न के अन्यी रूपों का अत्यंमत गंभीर चाहे घर में किया जाए, समुदाय में या कारागार में, बलात्कौर और यौन उत्पीड़न के अन्यी रूपों का अत्यंमत गंभीर भावनात्मुक एवं शारीरिक प्रभाव पड़ता है। जहां हर उत्पीड़ित का अनुभव एक खास तरह का होता है, डर, ग्लानि, गुस्सा, अवसार के दौरे, दु:स्वरप्नह, और बार-बार उन दृश्यों का फिर से आंखों के सामने आना कुछ साझी प्रतिक्रियाएं हैं। निजिता की कमी, अपने माहौल पर नियंत्रण नहीं होने और बलात्का री की लगातार मौजूदगी से कैदियों के लिए ये एहसास और भी तीखे हो जाते हैं।

कारागार में बलात्का।र की भावनात्मक कीमत चुकाने के अतिरिक्तिक उत्पी ड़ित को एचआईवी या अन्यग यौन संक्रामक रोग होने का खतरा होता है जो मारक हो सकता है। यौन उत्पीड़न के अनेक शिकार को हड्डी टूटने जैसी शारीरिक चोटें भी आती हैं; अकसर इनका इलाज नहीं होता। महिला बंदी को गर्भधारण का खतरा हो सकता है और उन्हेंर गर्भपात के लिए बाध्य किया जा सकता है। हालांकि तत्काल बलात्का र संकट काउंसेलिंग और बलात्कोर के बाद यौन संक्रामक रोगों की रोक-थाम के लिए उपचार समेत चिकित्सीकय देख-भाल बहुत उपयोगी हो सकती है, बहुत कम कैदियों को इन सेवाओं तक पहुंच है।

दुनिया भर में, कैदियों का व्या पक बहुमत अंतत: जेल से रिहा होता है। वे मानसिक आघात समेत कारागार के अपने तमाम अनुभव अपने परिवारों और समुदायों में वापस लाते हैं। मदद के बगैर कारागार में बलात्कामर के शिकार लोगों को अवसाद, आत्महत्यार के रुझान, शराब या नशीली दवाओं की लत पकड़न्र जैसी गंभीर और दीर्घकालीन समस्यो की चपेट में आने का जबरदस्ता खतरा होता है।

ग्लातनि और कारागार में बलात्कागर के साथ जुड़े कलंक के चलते कैदी कभी किसी को नहीं बताते, अपने पार्टनर को भी नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। इससे एचआईवी और अन्यै यौन संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। कारागार में बलात्कायर के अनेक शिकार इस तरह के व्यौवहार पाल लेते हैं जिनसे खुद उनको, उनके परिवार को और उनके समुदाय को नुकसान पहुंचता है। अपने भावनात्मक दर्द से प्रभावी रूप से निबिटना नहीं सीख पाए कारागार में बलात्कार के शिकार बने पूर्व कैदियों के आपराधिक चाल-चलन के फिर से अपनाने का ज़्याादा खतरा होता है। वे गरीबी का शिकार हो सकते हैं और कारागार में उनके लौटने का जोखिम ज़्या दा होता है।

इन विनाशकारी परिणामों के बावजूद, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वौस्य् श लाभ संभव है। समर्थन के सहारे कारागार

में बलात्काशर के शकिार लोग अपने सदमों से प्रभावी रूप से नबिटना, इस तरह से अपनी भावनाओं को अभव्यिेक्तत करना जसिसे उनको या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचे और अपने जीवन का पुनर्नर्िमाण करना सीख सकते हैं। यह बहुत से उत्पीाड़तिों को यह समझने में मदद करता है कि वे अकेले नहीं हैं और ऐसे लोग भी हैं जनि्होंने बलात्काकर को झेला है, फरि भी उससे उबरने में कामयाब रहे हैं। कुछ मामलों में, कारागार में बलात्काकर के शकिार मुखर और सफल मानवाधकिारकर्मी बने हैं और यह सुनश्चिति कर अपने जीवन का एक नया मायने पाया है कि अन्यव लोग उन उत्पी ड़नों का शकिार नहीं बनें जनिसे उन्हें खुद गुजरना पड़ा है।

कारागार में बलात्कोर की रोकथाम

कारागार में बलात्काडर की रोकथाम की जा सकती है। इस तरह के उत्पीयड़न खराब नीतयिों, खतरनाक दस्तुारों, और कारागार स्टा फ के बीच जवाबदेही की कमी का नतीजा हैं। कैदयिों की सुरक्षा के लएि बुनयिादी एहतयिात अपना कर अनेक कारागार बलात्का र रोकने में सक्षम रहे हैं। मसिाल के तौर पर, संभावति पीड़तिों और संभावति उत्पीकड़नकर्ताओं को अलग करना कारागार में बलात्का र की घटनाओं में कमी लाता है। अच्छेत प्रशक्षिण कार्यक्रम कारागार स्टा फ को सीखने में मदद करता है कि कैसे कैदयिों को सुरक्षति रखा जाए और बलात्कारि की रपिोर्टों की अच्छील तरह जांच की जा सके। यह कारागार नेतृत्व कर्ताओं के लएि अहम है कि वे साफ कर दें कि चाहे स्टाफ करे या कैदी, यौन उत्पीाड़न बरदाश्त नहीं कयिा जाएगा। इसके अतरिक्ति, पीड़तिों को बनिा कसिी बदले की कार्रवाई या अतरिक्ति उत्पीतड़न झेले बगैर बलात्काकर की रपिोर्ट करने का सुरक्षति तरीका अवश्यि होना चाहएि।

उन कारागारों में बलात्कार होने की संभावना ज्याकदा होती है जो अपनी नीतयिों की समीक्षा और अपने स्टारफ की नगिरानी करने की इजाजत नहीं देते या उसे हतोत्सा हति करते हैं। अनेक कारागारों में, शक्तशिाली पदों पर आसीन स्टीफ को नरिीक्षण के दायरे में नहीं लाया जाता और कसिी के प्रतिजवाबदेह नहीं बनाया जाता। कैदयिों की सुरक्षा के लएि कारागारों को अवश्यं ही मजबूत आंतरकि नगिरानी प्रणाली अपनानी चाहएि, और बाहरी एजेंसयिों से नयिमति ऑडटिगि कराने का इच्छुकि होना चाहएि। कारागार में बलात्कोर पर आंतरकि और बाहरी दोनों एजेंसयिों की ओर से इकट्ठा कएि गए डेटा को सार्वजनकि रूप से उपलब्धा कराना चाहएि।

वर्ष 2012 में, अमेरकिी न्याउय वभिाग ने एक रपिोर्ट प्रकाशति की जसिमें आकलन कयिा गया कि 2008. में अमेरकिी कारागारों में 2,09,400 से ज्याोदा कैदयिों का यौन उत्पीलड़न हुआ। व्यापक और कठोर डेटा संकलन पर आधारति इस आकलन ने अमेरकिा में समस्या पर व्यादपक ध्यापन आकर्षति करने में मदद की।

कठोर नगिरानी तंत्र बाध्यमकारी अंतरराष्ट्री य संधयिों के माध्यदम से भी लागू कयिा जा सकता है। संयुक्तग राष्ट्रा यातना नरिोधी कन्वेंमशन के अतरिक्तिम ऑप्श नल प्रोटोकोल टू द कन्वेंशन अगेंस्ट टार्चर (ओपीसीएटी) के तहत हस्ता क्षर करने वाले देशों को स्व तंत्र राष्ट्री य एजेंसयिां गठति करना होता है जो यातना रोकने के मकसद से कारागार का नयिमति दौरा करती हैं। अब तक 71 देशों ने ओपीसीएटी का अनुमोदन कयिा है। ओपीसीएटी के सार्वभौम अनुमोदन से ये कारागार पारदर्शति और जवाबदेही दोनों सुधरेगी और इससे बलात्काअर की घटनाओं में कमी आएगी।

इस उत्पी ड़न को रोकने के लएि प्रक्रयिाओं और नीतयिों में सुधार के साथ ही कारागार में बलात्कीर के प्रतिलोगों की सोच में भी परविर्तन आना जरूरी है। अकसर, बलात्कार का कलंक, या यह सोच कि कैदी तो बलात्का र के पात्र हैं, पीड़तिों को अपने उत्पीाड़न के बारे में बोलने और वांछति मदद पाने से रोकती है। पीड़तिों को अवश्य ही नरि्बाध रूप से अपने अनुभव के बारे में बोलना चाहएि ताकि समस्यी समझी जा सके। कैदयिों समेत सभी लोगों की सुरक्षा और गरमिा का सम्मा न करने वाला सार्वजनकि रुख पीड़तिों के लएि अपने उत्पी ड़न के बारे में बोलना आसान कर देते हैं और अंतत: कारागार में बलात्का र रोकने में मदद करेगा।

धन्या हो जेडीआई और मानवाधकिार की वकालत करने वाले अन्यक की, अमेरकिा में कारागार में बलात्कासर के प्रतिसार्वजीनकि रुख छछिोरे, गलत सूचना पर आधारति घसिी-पटिी धारणा से हट रहा है और व्यारपक मान्यरता की तरफ जा रहा है कि यह उत्पीगड़न मानवाधकिार का उल्लंघिन है।

जस्टिस डिटेंशन इंटरनेशनल के बारे में

जस्टिस डिटेंशन इंटरनेशनल एक स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार संगठन है जो कारागार में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अन्यन प्रकारों को खत्म करना चाहता है। अपने कार्य के लिए जेडीआई के तीन प्रमुख लक्ष्य हैं: कारागार में बलात्काटर के प्रति सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाना; कैदियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को महत्व देने वाले सार्वजनिक रुख को बढ़ावा देना; और यह सुनिश्चित करना कि कारागार में बलात्काहर के शिकार बने लोगों को वह मदद मिले जो वे चाहते हैं।

जेडीआई की स्थापना 1980 में कारागार में बलात्कादर के अमेरिकी पीड़ित रिसेल डान स्मिथ ने की थी। स्मिथ की तरह स्टीफन डोनाल्डसन और टॉम काहिल समेत संगठन के शुरुआती नेताओं में से ढेर सारे खुद भी कारागार में बलात्कार के शिकार थे।

युद्ध विरोधी प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद डोनाल्डसन के साथ अन्यआ कैदियों ने बार-बार बलात्कीर किया। एक शक्तिशाली लेखक, डोनाल्डसन ने कारागार में बलात्कोर की समस्याथ के प्रति राष्ट्री य ध्याकन आकर्षित किया और उन्हों ने 1994 के सुप्रीम कोर्ट केस फार्मर बनाम ब्रेनन में जेडीआई के एमिकस ब्रीफ में समन्वय किया। 1996 में डोनाल्डसन की मृत्युल एड्स से हो गई। कारागार में बलात्कीर के दौरान वह एचआईवी से संक्रमित हो गए थे।

दिग्गाज मानवाधिकार कर्मी और युद्ध-विरोधी टॉम काहिल का भी अन्यन बंदियों ने सामूहिक बलात्का र किया था। काहिल 1998 में जेडीआई के अध्याक्ष बने और कारागार में बलात्काकर रोकने के उनके प्रयास की परिणति 2003 के कारागार बलात्का र उन्मूकलन अधिनियिम (पीआरईए) पारित होने में हुआ। यह इस उत्पीड़न को रोकने में पहला अमेरिकी दीवानी कानून था।

जेडीआई इस तरह के उत्पीड़न की समाप्ति के लिए समर्पित दुनिया का एकमात्र संगठन है। संगठन के संस्थोपकों ने अमेरिका में कारागार में बलात्काकर पर ऐसे वक्त में आवाज बुलंद की थी जब बहुत कम के पास ऐसा करने का हौसला था। उनके समर्पण ने कारागार में बलात्कारर पर अमेरिका और दुनिया में जागरुकता बढ़ाई, और इसके विरोध में कार्रवाई करने के लिए ढेर सारे लोगों को प्रेरित किया। आज कारागार में बलात्का र के पीड़ित जेडीआई के काम-काज में अनन्यर भूमिका निभाना जारी हैं।

जेडीआई के काम-काज का प्रमुख सिद्धांत है कि जब सरकार किसी व्यमक्ति को उसकी आजादी से वंचित कर देती है तो वह उस व्यखक्ति को सुरक्षित रखने की पूरण जिम्मेदारी लेती है। कारागार में बलात्का र रोका जा सकता है। समर्पित नेताओं, अच्छी नीतियों और ठोस प्रक्रियाओं के साथ कारागार कैदियों को सुरक्षित रखने में सफल रहते हैं। जेडीआई कानून एवं नीतियां विकसित करता है, कारागार के स्टा फ को प्रशिक्षित करने और कैदियों को शिक्षित करने के लिए कारागारों के साथ काम करता है और हर साल कारागार में बलात्कारर के हजारों पीड़ितों को सूचना मुहैया कराता है।

जेडीआई कारागार में बलात्कारर के हमेशा-हमेशा के खात्माह के लिए मानवाधिकार की वकालत करने वालां, कारागार स्टाकफ, नीति-निर्माताओं, मेडिकल देखभाल एवं काउंसेलिंग प्रदाताओं, और कारागार में बलात्काबर के पीड़ितों के साथ वैश्विक स्तर पर संबंध बनाना चाहता है।

चाहे किसी ने कोई भी अपराध किया हो, बलात्कावर सजा का हिस्सां नहीं है।

***

जेडीआई अमेरिका में आधारित है और उसका एक कार्यालय दक्षिण अफ्रीका में भी है। जेडीआई ने बोट्सवाना, गुयाना, भारत, जमैका, मेक्सिको, फिलीपीन और ब्रिटेन में भी ऐडवोकेसी संचालित की है। अभी जेडीआई के पास इस संक्षिप्त विवरण के अलावा केवल अंग्रेजी और स्पेनिश में पत्रोच्चाईर करने एवं सूचना प्रदान करने की क्षमता है। जेडीआई कारागार में बलात्काटर के पीड़ितों के लिए सिर्फ अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में बलात्काकर संकट काउंसेलिंग के लिए रेफरल, कानूनी सहायता, और अन्यी संसाधन की पेशकश करता है। जेडीआई के काम-काज के बारे में ज्योदा जानने के लिए कृपया www.justdetention.org पर जाएं।

संदर्भ

[i] लोगों को कैद करने हेतु उपयोग होने वाली सुविधाओं के समान ही, कारागार प्रणालियाँ एक देश से दूसरे देश में और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। इस दस्तावेज़ के प्रयोजन हेतु, "कारागार" वयस्क कारागारों एवं जेलों, युवा कारावास सुविधाएं, स्थानीय कारावास सुविधाएं, और पुलिस "हवालात" समेत सभी प्रकार की नजरबंदी सुविधाओं का उल्लेख करता है।

[ii] National Standards to Prevent, Detect, and Respond to Prison Rape, अमेरिकी न्याय विभाग, 17 मई, 2012, http://www.ojp.usdoj.gov/programs/pdfs/prea_final_rule.pdf पर उपलब्ध।

JUST DETENTION INTERNATIONAL
3325 Wilshire Blvd., Suite 340
Los Angeles, CA 90010
Tel: (213) 384-1400
Fax: (213) 384-1411

East Coast Office
1900 L Street NW, Suite 601
Washington, DC 20036
Tel: (202) 506-3333
Fax: (202) 506-7971

South Africa Office
Phenyo House, 11th Floor
73 Juta Street, Cnr De Beer Street,
Braamfontein, 2017,
Johannesburg, South Africa
Tel: 27 0 11 339 3589
Fax: 27 0 11 339 6503

info@justdetention.org
www.justdetention.org